भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3142

दिनांक 06 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

.....

गंगा, यमुना तथा टोंस नदियों में बाढ़ से जान-माल की हानि

3142. श्री उज्जवल रमण सिंहः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गंगा, यमुना तथा टोंस नदियों में लगभग प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ से होने वाली जान-माल की हानि का कोई सर्वेक्षण कराती है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान कराए गए ऐसे सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है तथा बाढ़ की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में इन नदियों के दोनों तटों पर तटबंधों का निर्माण करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (घ): बाढ़ के कारण जान-माल की हानि से संबंधित आंकडे केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

बाढ़ प्रबंधन और कटाव-रोधी योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी संबंधित प्राथमिकताओं के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, जल निकासी विकास आदि से संबंधित कार्यों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" (एफएमबीएपी) के माध्यम से गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और प्रोत्साहनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करके इन प्रयासों में सहायता करती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों को शामिल करने वाले गंगा बेसिन में, इसके प्रारंभ से कुल 4131.80 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में कुल 3869 किमी लंबाई वाले 523 तटबंधों का निर्माण किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने सूचित किया है कि टिहरी गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में गंगा नदी के किनारे 56.748 किलोमीटर की लंबाई और हरिद्वार जिले में गंगा नदी

की सहायक नदियों के साथ 34.90 किलोमीटर की लंबाई में बाढ़ सुरक्षा कार्य पूरा कर लिया गया है।

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) चिन्हित स्थानों पर 24 घंटे तक के लीड टाइम के साथ कम दूरी के बाढ़ पूर्वानुमान जारी करता है। गंगा बेसिन में, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं, इसमें 141 समर्पित बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशन (97 स्तर पूर्वानुमान स्टेशन और 44 अंतर्वाह पूर्वानुमान स्टेशन) हैं। सीडब्ल्यूसी वर्षा-अपवाह गणितीय मॉडल का उपयोग करके 7-दिवसीय अग्रिम बाढ़ पूर्वानुमान एडवाईजरी भी जारी करता है जो उपग्रह-आधारित निकट-वास्तविक समय में वर्षा के अनुमानों और इन बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा निर्बाध रूप से साझा किए गए संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमानों का उपयोग करता है।

जल शक्ति मंत्रालय ने राज्यों को बाढ़ मैदान क्षेत्रीकरण को अपनाने की आवश्यकता पर लगातार बल दिया है। इस संबंध में, जल शक्ति मंत्रालय ने अगस्त, 2025 में बाढ़ मैदान क्षेत्रीकरण (एफपीजेड) पर तकनीकी दिशानिर्देश जारी किए और इसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचलित किया।
